195/2022

20.10.22

पत्रावली तलब की हुई। वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित। वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत वास्तें–आवेदन पुनःबरामद किये जाने बाबत पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण का राजस्व आवेदन संख्या 128/2016 अनवान भैराराम बनाम ग्राम पंचायत कमठाई वगैरा अन्तर्गत धारा 188 आरटी.आर.एक्ट के तहत माननीय न्यायालय में दिनांक 30.03.2022 को सुनवाई हेतु नियत थी। प्रार्थीगण मुझ अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित नहीं होने विचाराधीन आवेदन में पैरवी की जानकारी का अभाव तथा अधिवक्ता भी एक अन्य आवश्यक प्रवृति के प्रकरण में अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थिति नहीं होने के कारण हस्तगत प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा पेशी तारीख 30.03.2022 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश से आते है। प्रार्थीगण के आवेदन के खारिज होने की जानकारी होने के तुरन्त बाद जरिये अधिवक्ता आवेदन को पुनः बरामद किया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण का एक वाद अन्तर्गत धारा 188 रा.का..अधि. का विचाराधीन है, जिसमें विप्रार्थी को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखल न करने हेतु की इस्तदुआ के प्रस्तुत है, इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में विवाद का मुख्य कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत में जबरन सड़क निर्माण करने से संबंधित है, जिसके लिए विप्रार्थीगण आमादा है और माननीय न्यायालय द्वारा यदि आवेदन को पुनः बरामद नहीं किया जाता है,तो प्रार्थीगण के साथ अन्याय हो जावेगा। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमावें जावें।

हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं मूल पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया गया। जिसमें पाया की प्रार्थीगण का आवेदन दिनांक 30.03.2022 को सुनवाई हेतु नियत था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर प्रार्थीगण का आवेदन अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। चूंकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से आवेदन को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय का यह मानना है,कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए एवं प्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय यह उचित समझता है,कि प्रार्थीगण आवेदन पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. वास्तें–आवेदन पुनःबरामद [illegible] स्वीकार [illegible] न्यायालय के आदेश दिनांक 30.03.2022 को निरस्त किया ज[illegible]का आवेदन पुनः बरामद किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी